न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 102/17 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1. शीशराम पुत्र प्रभूदयाल जाति जाट निवासी ग्राम झझारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:---- अपीलांट

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र प्रभूदयाल जाति जाट निवासी ग्राम झझारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

2 उप पंजीयक मुण्डावर

3 राज0 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर

:--- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखंड अधिकारी, मुण्डावर दिनांक 23.5.2017

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 सं0 1 :- श्री सचिन खत्री

निर्णय दिनांक 17.4.2018

--------- ---------------

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा वाद संख्या 319/2013 में पारित निर्णय दिनांक 23.5.17 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद बाबत तकासमा अंतिम रूप से डिक्री किया गया है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

2 विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि तहत अदालत में राजस्व लोक अदालत कैम्प के दौरान मिन अपीलांट उपस्थित हुआ था । मिन अपीलांट से कैम्प में उपस्थित कर्मचारियों व पीठासीन अधिकारी द्वारा कहा गया कि आपकी हाजरी दर्ज कर रहे हैं, फैसला नहीं कैम्प में नहीं कर रहे हैं, फैसला अदालत में ही होगा, आप अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर कर दो । इस पर मिन अपीलांट ने आदेशिका पर अपनी उपस्थिति के हस्ताक्षर कर दिये । लेकिन मेरे द्वारा कोई सहमति स्वरुप हस्ताक्षर नहीं किये गये थे । गलत तौर पर मेरी सहमति दर्ज करते हुये विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया । विवादित आराजसी खसरा नम्बर 278 रकबा 2.16 हेक्टेयर वाके ग्राम झझारपुर तहसील मुण्डावर का मिन अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 01 वादी के मध्य काफी अरसे पूर्व आपसी सहमति से विभाजन हो चुका है । मात्र राजस्व रिकार्ड में शामलाती अंकन हो रहा है । मौके पर विभाजन किया हुआ है और पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज है । मिन अपीलांट व वादी रेस्पो0 संख्या 01 के मध्य आपसी बाहमी बंटवारा अनुसार शपथ पत्र भी लिखा हुआ है । उक्त आराजी के तरफ पश्चिम वाला हिस्सा मिन अपीलांट का व तरफ पूर्व का हिस्सा वादी रेस्पो0 संख्या 01 के हिस्से कब्जे में आया है तथा तरफ उत्तर रास्ता है । मैंने अपने हिस्से की आराजी में रिहायशी मकानात बना रखे हैं । कुर्रेजात रिपोर्ट विभाजन के नियम 18 से 21 अनुसार तैयार नहीं की गई है । जिस स्थान पर मैने मकानात बना रखे हैं, वो रेस्पो0 को दे दिया गया और जिस स्थान पर मेरा कब्जा नहीं था, वो मुझे दे दिया गया । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

3 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 01 का कथन है कि विभाजन के नियम 18 से 21 की पूर्णतया पालना की गई है । विभाजन करने से पूर्व पक्षकारान की सहमति ली गई है । स्वयं अपीलांट ने भी अपनी सहमति दी है । इसके बाद ही विभाजन की डिक्री पारित की गई है । जब इन्होंने सहमति दे ही दी तो फिर अब इनको अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है । अतः अपील खारिज की जावे ।

4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम हमने इस तथ्य पर गौर किया कि अपीलांट ने अपनी सहमति दी थी अथवा नहीं । तहत न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.5.17

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

के अवलोकन से सिद्ध है कि इस आदेशिका पर सभी पक्षकारान ने सहमति स्वरूप अपने अपने हस्ताक्षर कर रखे हैं । इनकी पहचान भी कराई गई है । स्वयं प्रतिवादी अपीलांट की पहचान इनके वकील श्री दयाराम तंवर ने की । ऐसे में अपीलांट प्रतिवादी का यह कथन कतई मानने योग्य नहीं है कि उनकी विभाजन कराने में सहमति नहीं थी । अगर उसे लगता है कि उसे गुमराह करके धोखे से हस्ताक्षर कराये गये हैं तो उसे इस सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये । चूंकि अपीलाधीन निर्णय पक्षकारान की आपसी सहमति से पारित किया गया है, जिसमें स्वयं अपीलांट की भी सहमति है तो ऐसी स्थिति में यह अपील चलने योग्य नहीं है । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

5 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 23.5.17 यथावत रखे जाते हैं ।

6 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 102/17 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :- 1. शीशराम पुत्र प्रभूदयाल जाति जाट निवासी ग्राम झझारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:---- अपीलांट

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र प्रभूदयाल जाति जाट निवासी ग्राम झझारपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

2 उप पंजीयक मुण्डावर

3 राज0 सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मुण्डावर

:--- रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखंड अधिकारी, मुण्डावर दिनांक 23.5.2017

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री जनार्दन शर्मा

2. वकील रेस्पो0 सं0 1 :- श्री सचिन खत्री

पर्चा डिक्री दिनांक 17.4.2018

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 23.5.17 यथावत रखे जाते हैं ।

(संजू शर्मा)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner